

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

रणजीतसिंह S/o श्रवण
जाति मैधवाल निवासी करणपुरा
दावा बाबत :- 88 RT Act
मुकदमा नम्बर :- 38/2019
निर्णय दिनांक :- 18/11/2021


उपनाम 1 श्रवण S/o राजेराम
बनाम 2 गुडडी 3 सुंधेरी
4 औमयानि 5 मनेरी
6 सुमित्रा 7 दलीपसिंह
8 राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा
पुत्र-पुत्रिया
श्रवण जाति मैधवाल
निवासी करणपुरा

वादी की ओर से वकील विनोद प्रनियां की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील उमेश मोहसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/11/21 को

मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रौही मौजा करणपुरा बाराणी के खाता संख्या 342/227 के खसरा नम्बर 252/1, 256/1, 257, 376/1 इस प्रकार कुल खसरा 4 की कुल 5.476 हेक्टेयर में प्रतिवादी श्रवण के नाम 1/3 हिस्सा इसी प्रकार चक 3 KRP के खाता संख्या 120/102 के कु.न. 77, 78 कुल कितना 33 की कुल 8.349 हेक्टेयर में प्रतिवादी श्रवण के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में से वादी रणजीतसिंह, प्रतिवादी संख्या 1 श्रवण व प्रतिवादी संख्या 7 दलीपसिंह को व हिस्सा बराबर के खातेदार कर्जतकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है, इस लिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा की डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)